[भारत के राजपत्र असाधारण, भाग–I, खण्ड I में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

वाणिज्य विभाग

विदेश व्यापार महानिदेशालय

वाणिज्य भवन

सार्वजनिक सूचना सं. 23/2023

नई दिल्ली, दिनांकः 31 जुलाई, 2023

विषयः **एफटीपी 2023 के परिशिष्टों और आयात–निर्यात प्रपत्र के परिशिष्ट 2न (निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों/निर्यात विकास प्राधिकरणों की सूची) के तहत संशोधन के संबंध में।**

विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023 के पैराग्राफ 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, महानिदेशक विदेश व्यापार एतद्द्वारा परिशिष्टों और आयात निर्यात प्रपत्रों के परिशिष्ट 2न (निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों/निर्यात विकास प्राधिकरणों की सूची) में निम्नलिखित संशोधन करते हैं।

2. नीचे दी गई तालिका में सूचीबद्ध मदों हेतु पंजीकरण–सह–सदस्यता प्रमाणपत्र (आरसीएमसी) जारी करने के लिए आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल) को शामिल करने हेतु विदेश व्यापार नीति एफटीपी 2023 के परिशिष्ट 2न में क्र. सं. 39 पर एक नई प्रविष्टि को शामिल किया जाएगाः

परिशिष्ट 2न में क्र.सं	निर्यात संवर्धन परिषदों/कमोडिटी बोर्डों का नाम	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय	उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले उत्पादों का विवरण
39.	आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल)	फेडरेशन हाउस, तानसेन मार्ग, टोडरमल रोड क्षेत्र, मंडी हाउस, नई दिल्ली, दिल्ली टेलीफोन/मोब नंबरः 9958939200; 9899743070; 9811166097 ईमेलः director@ayushexcil.in वेबसाइटः http://ayushexcil.in	1. आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय 2. यूनानी पद्धति की औषधीय सामग्री 3. सिद्ध पद्धति की औषधीय सामग्री 4. होम्योपैथिक पद्धति की औषधीय सामग्री 5. जैव रसायन प्रणाली की औषधीय सामग्री 6. आयुर्वेदिक पद्धति की औषधीय सामग्री 7. यूनानी पद्धति की औषधीय सामग्री 8. सिद्ध प्रणाली की औषधीय सामग्री 9. होम्योपैथिक पद्धति की औषधीय सामग्री 10. जैव–रसायन प्रणाली की औषधीय सामग्री 11. आंखों के मेकअप की विनिर्मितियां 12. फेस क्रीम 13. मॉइस्चराइजिंग लोशन 14. सुगंधित हेयर ऑयल 15. अन्य हेयर ऑयल 16. ओरल या डेन्टल साफ–सफाई के लिए विनिर्मितियां (पाउडर में) 17. ओरल या डेन्टल साफ–सफाई के लिए विनिर्मितियां (पेस्ट में) 18. बॉथ ऑयल (थैलम) 19. शौचालय में उपयोग के लिए साबुन (औषधीय उत्पादों सहित) औषधीय टॉयलेट सोप।

सं. सां.भो

3. परिशिष्ट 2न में आयुषऐक्सिल को शामिल करने के बाद, मूल रसायन, कॉएस्मेटिक्स और डाइज़ निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल) और फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल) के लिए क्रमशः क्रम सं. 2 और 17 पर मौजूदा प्रविष्टियाँ को निम्नानुसार संशोधित किया जाएगाः

परिशिष्ट 2न में क्र.सं	निर्यात संवर्धन परिषदों/पण्य बोर्डों का नाम	पंजीकृत कार्यालय/प्रधान कार्यालय	उनके क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों का विवरण
2.	मूल रसायन, कॉएस्मेटिक्स और डाइज़ निर्यात संवर्धन परिषद (केमेक्सिल)	झाँसी कैसल, चौथा तल 7 कूपरेज रोड मुंबई–400001. टेलीफोनः 022-22021288/22021330 फैक्सः 022 22026684 ईमेलः info@chemexcil.in वेबसाइटः https://chemexcil.in	1. डाईज, डाई–इंटरमीडिएट्स, कोल तार रसायन और अल्कोहल – 2. कृषि रसायन, ऑयल फील्ड रसायन सहित मूल अकार्बनिक और कार्बनिक रसायन **3.** कॉस्मेटिक्स और टॉयलेट्रिज सुंगधित तेल और इत्र यौगिक **(क्रम संख्या 39 पर आयुषऐक्सिल को आवंटित वस्तुओं को छोड़कर)** 4. अरंडी का तेल और इसके व्युत्पन्न
17.	फार्मास्यूटिकल्स निर्यात संवर्धन परिषद ऑफ इंडिया (फार्मेक्सिल)	201, आदित्य ट्रेड सेंटर अमीरपेट, हैदराबाद–500 038 टेलीफोनः 040-23735462/66 फैक्सः 040-23735464 ईमेलः dgdesk@pharmexcil.com, ayush@pharmexcil.com वेबसाइटः www.pharmexcil.com	1. बल्क ड्रग्स और इसके इंटरमीडिएट्स 2. सूत्रीकरण 3. बायोटेक और बॉयोलोजिकल उत्पाद 4. निदान 5. शल्य चिकित्सा 6. न्यूट्रास्यूटिकल्स और फार्मा उद्योग से संबंधित सेवाएं 7. सहयोगात्मक अनुसंधान 8. संविदा विनिर्माण 9. क्लिनिकल परीक्षण और कन्सल्टैंट आदि 10. फार्मा संबंधी सेवाएं।

4. आयुषऐक्सिल को अब आवंटित मदों हेतु इस सार्वजनिक सूचना को जारी करने की तिथि तक केमेक्सिल और फार्मेक्सिल द्वारा जारी किए गए आरसीएमसी उनकी समाप्ति की तिथि तक वैध रहेंगे।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः

आयुष निर्यात संवर्धन परिषद (आयुषऐक्सिल) को विनिर्दिष्ट मदों हेतु आरसीएमसी जारी करने हेतु विदेश व्यापार नीति 2023 के परिशिष्ट 2न में तत्काल प्रभाव से शामिल किया गया है। तदनुसार, केमेक्सिल और फार्मेक्सिल के क्षेत्राधिकार में आने वाले उत्पादों को संशोधित किया गया है तथा उनके सम्पर्क के ब्यौरो को अद्यतित कर दिया गया है।

संतोष कुमार सारंगी
31.7.2023

(संतोष कुमार सारंगी)
महानिदेशक विदेश व्यापार एवं
पदेन अपर सचिव, भारत सरकार
ईमेलः dgft@nic.in

(फा. सं. 01/93/180/01/एएम–16/पीसी–2(ख)/ई–2587 से जारी)